

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 870 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 30 / 09 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह जाट, उम्र 26 वर्ष,
निवासी :- ग्राम भड़ेरा, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 16 / 02 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी धर्मेन्द्र पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 17 / 09 / 2014 को सुबह लगभग 09:25 बजे सर्किट हाउस मौ के पास गोहद-मेहगांव तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 17 / 09 / 2014 को थाना मौ के प्रधान आरक्षक शेषदेव राम भगत कस्बा भ्रमण हेतु आरक्षक प्रदीप पचौरी, राजेश कुमार के साथ गोलम्बर के पास पहुँचे, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सर्किट हाउस मौ के पास गोहद-मेहगांव तिराहा रोड़ पर अवैध रूप से लोहे का चाकू लिये हुये है। मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। साक्षीगण के समक्ष आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह जाट, उम्र 24 वर्ष, निवासी :- ग्राम भड़ेरा का होना बताया। आरोपी की साक्षीगण की समक्ष तलाशी लेने पर उसकी कमर में पेंट के नीचे बाईं तरफ एक छुरा मिला। आरोपी से उक्त लोहे का छुरा रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से विधिवत्

लोहे का छुरा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 320/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण राजेश कुमार एवं प्रदीप पचौरी के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :- 17/09/2014 को सुबह लगभग 09:25 बजे सर्किट हाउस मौ के पास गोहद-मेहगांव तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी शेषदेव राम भगत अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/09/2014 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह कस्बा भ्रमण हेतु आरक्षक प्रदीप पचौरी एवं राजेश कुमार के साथ गोलम्बर के पास पहुँचा, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से छुरा लिये हुये खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह जाट, उम्र 24 वर्ष,

निवासी :- ग्राम भड़ेरा का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर में पेंट के नीचे बाईं तरफ एक लोहे का छुरा खुरसे मिला। आरोपी से उक्त लोहे का छुरा रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी से उक्त छुरा साक्षीगण प्रदीप एवं राजेश के समक्ष एक छुरी 15 इंच लम्बी तथा लम्बाई की धार लगभग 11 इंच विधिवत् जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की थी, रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रति प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 320/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने साक्षी प्रदीप पचौरी एवं राजकुमार के कथन लेखबद्ध किये थे। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में शेषदेव अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर नमूना सील नहीं लगी हुई है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक पर कोई नमूना सील अंकित नहीं है। उल्लेखनीय है कि शेषदेव अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा चाकू या छुरे को सीलबंद किया था। इस प्रकार कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा छुरे को सीलबंद ना किये जाने, जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर सील नमूना अंकित ना किये जाने तथा शेष देव अ.सा.03 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इसका कोई कारण दर्शित ना किये जाने से अभियोजन कथा संदेहास्पद प्रतीत होती है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में ही शेषदेव अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया कि कथित रूप से जब्तशुदा छुरा मुड़ने वाला था, अथवा नहीं और ना ही उसके द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा आयुध का कोई चित्र बनाया गया है। तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता का कहना है कि शेषदेव अ.सा.03 द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा आयुध का चित्र ना बनाये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि अभियोग पत्र के साथ पेश की गई छुरी वही छुरी है, जो कथित रूप से आरोपी से जब्त की गई थी। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उस पर किसी जब्तशुदा आयुध का चित्र नहीं बना हुआ है, जिससे यह अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं है कि प्रकरण में अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत आयुध ही वह आयुध है, जो कथित रूप से आरोपित अपराध में आरोपी धर्मेन्द्र से जब्त की गई थी। शेषदेव अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा आयुध का चित्र

क्यों नहीं बनाया गया। इस प्रकार जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा आयुध का चित्र ना बनाये जाने से अभियोजन कथा संदेहास्पद प्रतीत होती है।

10. अभियोजन साक्षी प्रदीप पचौरी अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 17/09/2014 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्रधान आरक्षक शेषदेव एवं राजेश के साथ कस्बा भ्रमण पर गया था। साक्षी आगे कहता है कि तभी मुखबिर द्वारा दीवान जी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेस्ट हाउस मौ के पास गोहद-मेहगांव तिराहा रोड़ पर अवैध लोहे की छुरी लिये हुये खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे प्रधान आरक्षक ने फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह जाट, निवासी : ग्राम भड़ेरा का होना बताया। तत्पश्चात् दीवान जी द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर में बाईं तरफ एक लोहे का छुरा खुरसे हुये मिला। आरोपी से उक्त लोहे का छुरा रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् दीवान जी ने मौके पर आरोपी से उक्त छुरा जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रदीप पचौरी अ.सा.01 का कहना है कि जब वह लोग गश्त के लिए निकले थे, तब दोनों आरक्षकों प्रदीप अ.सा.01 एवं राजेश अ.सा.02 पर रायफलें थी और दीवान जी अर्थात् शेषदेव अ.सा.03 के पास बैग था, जिसमें दीवान जी अनुसंधान का सामान चपड़ी, सूई, धागा, कागज, कलम एवं कार्बन आदि थे। साक्षी आगे कहता है कि बैग में और क्या-क्या था, इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। साक्षी का कहना है कि जब वह लोग गश्त पर गये थे, तब इंचीटेप नहीं था। जब दीवान जी जब्तशुदा छुरी को नाप रहे थे, तब पॉच फुट वाला इंचीटेप देखा था, जो कि हरे एवं सफेद रंग का था। प्रदीप अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल आरक्षक राजेश अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह लोग कस्बा भ्रमण के लिए निकले थे, तब उन लोगों अर्थात् पुलिसकर्मियों के पास हथियारों के अलावा कोई अन्य सामग्री साथ में नहीं थी। इस प्रकार घटनास्थल पर जाते समय पुलिसकर्मियों प्रदीप अ.सा.01, राजेश अ.सा.02 तथा शेषदेव अ.सा.03 के पास कोई बैग, जिसमें अनुसंधान का सामान चपड़ी, सूई, धागा, कागज, कलम एवं कार्बन आदि थे, अथवा नहीं, इस वावत् प्रदीप अ.सा.01 एवं राजेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय है कि शेषदेव अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि घटनास्थल पर वह कोई अनुसंधान बॉक्स या बैग अपने साथ

लेकर गया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है कि शेषदेव अ.सा.03 आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर कोई अनुसंधान बैग लिये हुये था, जिसमें अनुसंधान का सामान चपड़ी, सूई, धागा, कागज, कलम एवं कार्बन आदि थे।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में प्रदीप पचौरी अ.सा.01 का भी यह कहना है कि जब्ती पत्रक पर कोई सील नहीं लगाई गई थी। राजेश अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि आरोपी से जो लोहे का छुरा पकड़ा गया था, उसकी लम्बाई-चौड़ाई कितनी थी, वह यह नहीं बता सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में आरोपित अपराध के संबंध में प्रदीप अ.सा.01, राजेश अ.सा.02 एवं शेषदेव अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण होने के कारण संदेहास्पद है।

13. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :- 17/09/2014 को सुबह लगभग 09:25 बजे सर्किट हाउस मौ के पास गोहद-मेहगांव तिराहा सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म. प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

अंतिम निष्कर्ष

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी धर्मेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद